अनुदान संख्या 51 - पुलिस
GRANT No. 51 - POLICE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*12,07,00*	*5,78,26*	*-6,28,74*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	130959,53,00		137608,69,00	136373,78,32	-1234,90,68
पूरक	Supplementary	6649,16,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					*शून्य Nil*
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*7,71,00*		*23,46,00*	*22,99,80*	*-46,20*
पूरक	*Supplementary*	*15,75,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13343,89,00		13343,91,00	11577,13,24	-1766,77,76
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1510,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नानुसार हुईः–

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत *₹86.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹377.55 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 66 प्रतिशत है।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹123490.68 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹664916.00 लाख के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत है और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under: -

(I) *Appropriation* of *₹86.00 lakhs* remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under one head saving of *₹377.55 lakhs* occurred constituting 66 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹123490.68 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grants of ₹664916.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2055”	Major Head “2055”				
पुलिस	Police				
मू.	O.	12579033.00			
पू.	S.	664914.00	13419954.00	13318787.39	-101166.61
पु.	R.	176007.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	387638.00			
पू.	S.	1.00	168637.00	155468.93	-13168.07
पु.	R.	-219002.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	129282.00			
पू.	S.	1.00	172278.00	163122.00	-9156.00
पु.	R.	42995.00			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹6308.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹6308.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹5500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "आपराधिक जांच और सतर्कता – गरीब कैदियों को सहायता" – ₹2000.00 लाख केंद्रीय नोडल एजेंसी से कोई मांग न होने और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण।

(A) Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Support to Poor Prisoners" - ₹2000.00 lakhs - due to no demand from Central Nodal Agency and non-receipt of utilization certificates.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/भाग– सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹3500.00 लाख कोई प्रतिबद्ध देयता न होने की वजह से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण।

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share-Border Area Development Programme" - ₹3500.00 lakhs - due to no demand received from UT of Jammu and Kashmir owing to no committed liability.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" – "शिक्षा एवं प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" के अंतर्गत ₹16375.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹390.02 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹16765.02 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹550.14 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पूरा न होने, प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद न किए जाने, ई–सामग्री विकास में कम उपयोग किए जाने और कम पेशेवरों की नियुक्ति के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2055" - "Education and Training - National Police Academy" - the original provision of ₹16375.00 lakhs was augmented to ₹16765.02 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹390.02 lakhs. However, there was a saving of ₹550.14 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards wages, non-completion of training courses, non-procurement of training equipment and less utilization in e-content development and hiring of less professionals.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" – "निदेशन एवं प्रशासन – आव्रजन ब्यूरो" के अंतर्गत ₹88204.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4300.01 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹92504.01 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो स्कीम के अंतर्गत हवाई अड्डों पर संविदा कर्मचारियों की तैनाती में देरी/न किए जाने के कारण ₹2410.50 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) Under Major Head "2055" - "Direction and Administration - Bureau of Immigration" - the original provision of ₹88204.00 lakhs was augmented to ₹92504.01 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4300.01 lakhs which, however, remained unutilized to the extent ₹2410.50 lakhs - due to delay/non-deployment of contractual staff at airports under the scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी" – ₹576.18 लाख की बचत (₹3460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ठेकेदार से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान" – ₹49132.93 लाख की बचत (₹50604.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी)" – ₹1261.99 लाख की बचत (₹1364.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(A) "Education and Training" -

(a) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹576.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3460.00 lakhs) was due to receipt of less claim from the contractor.

(b) "Central Armed Police Forces Institute of Medical Science" - saving of ₹49132.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50604.00 lakhs) was due to requirement of less funds by All India Institute of Medical Science.

(c) "National Academy of Coastal Policing (NACP)" - saving of ₹1261.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1364.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "आपराधिक जांच और सतर्कता" –

(क) "निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाएं" – ₹2665.06 लाख की बचत (₹4285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण और कम पेशेवरों की नियुक्ति किए जाने की वजह से व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर–संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन" – ₹14138.32 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25000.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएनए के मॉडल–II से मॉडल–1ए तक वित्तपोषण पैटर्न में परिवर्तन किए जाने की वजह से व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" – ₹12000.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी–डैक से राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन और व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली परियोजना को मॉडल–II से मॉडल–I में स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

(घ) "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना" – ₹55144.68 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "कारागारों का आधुनिकीकरण" – ₹25637.99 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत व्यय की धीमी प्रगति होने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(a) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹2665.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4285.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure owing to less training and hiring of less professionals.

(b) "Implementation of Inter Operable Criminal Justice System" - saving of ₹14138.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25000.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to slow pace of expenditure owing to change of funding pattern from Model-II to Model-1A of CNA as per Department of Expenditure guidelines.

(c) "Emergency Response Support System (ERSS)" - saving of ₹12000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to change of funding pattern from C-DAC to National Crime Records Bureau and moving of the Emergency Response Support System project from Model-II to Model-I as per Department of Expenditure guidelines.

(d) "Scheme for Modernisation of Forensic Capacities" - saving of ₹55144.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs); and

(e) "Modernisation of Prisons" - saving of ₹25637.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of expenditure and non-finalization of proposals.

(च) "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (एनएफआईईएस)" – ₹2653.00 लाख की बचत (₹3103.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और एनएफएसयू परिसरों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा न होने के कारण हुई।

(f) "National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme (NFIES)" - saving of ₹2653.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3103.00 lakhs) was due to non-completion of feasibility study for setting up of Central Forensic Science Laboratories and NFSU campuses.

(गा) "विशेष पुलिस – भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" – ₹4208.35 लाख की बचत (₹21.01 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9461.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण हुई।

(C) "Special Police - Indian Cyber Crime Coordination Centre" - saving of ₹4208.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9461.01 lakhs including supplementary grant of ₹21.01 lakh) was due to requirement of less funds towards advertising & publicity and non-completion of training.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹13598.99 लाख की बचत (₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹120401.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, बीआर जैकेटों की खरीद के लिए कम दावों की प्राप्ति, कम दौरे किए जाने तथा विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी कम कार्यों के कारण हुई।

(D) "National Security Guard - Establishment" - saving of ₹13598.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹120401.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims for procurement of BR Jackets, less tours undertaken and less advertising & publicity related works.

(ड.) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹4998.17 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(E) "Modernization of Police Force - Assistance to Central Agencies for LWE Management" - saving of ₹4998.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(चा) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – प्रशासनिक व्यय" – ₹2716.72 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3550.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने तथा विभिन्न मदों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन कार्य" – ₹904.93 लाख की बचत (₹30972.00 लाख के स्वीकृत

(F) "Border Management" -

(a) "Border Area Development programme - Administrative expenses" - saving of ₹2716.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3550.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to non-materialization of some proposals and non-procurement of various items.

(b) "Border Infrastructure & Management Works" - saving of ₹904.93 lakhs (against

प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "जीवंत ग्राम कार्यक्रम" – ₹4066.74 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4650.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और आउटसोर्स कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(छा) "जम्मू और कश्मीर पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹73183.25 लाख की बचत (₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹904617.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और हथियारों और गोला–बारूद की खरीद न होने के कारण हुई।

(जा) "आरक्षित निधियों / जमा लेखों में अंतरण – निर्भया निधि में अंतरण" – ₹10000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग द्वारा निधियों के कम अंतर–राज्यीय अंतरण के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹122573.25 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹237738.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "जीवंत ग्राम कार्यक्रम" – ₹80350.00 लाख की बचत (₹100350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

the sanctioned provision of ₹30972.00 lakhs) was due to slow pace of works.

(c) "Vibrant Village Programme" - saving of ₹4066.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4650.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to slow pace of works and non-filling up of vacant posts of outsourced staff.

(G) "Jammu & Kashmir Police - Direction & Administration" - saving of ₹73183.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹904617.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh) was due to requirement of less funds towards rents and non-procurement of arms and ammunition.

(H) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Nirbahaya Fund" - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less inter-state transfer of funds by women safety division of Ministry of Home Affairs.

(V) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Modernisation of Police Forces" - saving of ₹122573.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹237738.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "Vibrant Village Programme" - saving of ₹80350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100350.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from States.

(ग) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)" – ₹18641.75 लाख की बचत (₹26450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम दावों की प्राप्ति और अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(क) "पुलिस संबंधी व्यय के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति" – ₹5987.29 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न इकाइयों से निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(ख) "निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाएं" – ₹4517.78 लाख की बचत (₹10501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानसभाओं वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाएं" के अंतर्गत ₹8583.00 लाख की बचत (₹11444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाएं पूरी न होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1559.21 लाख की बचत (₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचत (₹423569.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए का आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹664915.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(c) "Border Area Development Programme (BADP)" - saving of ₹18641.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26450.00 lakhs) was due to receipt of less claims from States and availability of unspent balance.

(B) "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance" -

(a) "Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses" - saving of ₹5987.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to less demand of funds from various units.

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹4517.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10501.00 lakhs) was due to receipt of less claims from States.

(VI) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹8583.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11444.00 lakhs) was due to non-completion of projects.

(VII) Under four heads savings of ₹1559.21 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.04 lakh) occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above saving were partly (₹423569.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹664915.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "आसूचना ब्यूरो" – ₹24555.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22059.49 लाख था।

(ii) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹2405.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1788.43 लाख था।

(ख) "शिक्षा एवं प्रशिक्षण – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" – ₹6200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6199.98 लाख था।

(ग) "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" – ₹1333.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹883.28 लाख था।

(घ) "केंद्रीय रिज़र्व पुलिस – स्थापना" – ₹101395.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹82270.44 लाख था।

(ङ.) "असम राइफल्स – स्थापना" – ₹8374.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7053.90 लाख था।

(च) "सीमा सुरक्षा बल" –

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹94435.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹76641.86 लाख था।

(ii) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹16643.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11541.11 लाख था।

(छ) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन एवं प्रशासन" – ₹37299.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹37014.85 लाख था।

(ज) "विशेष सुरक्षा बल – स्थापना" – ₹3294.00

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Intelligence Bureau" - ₹24555.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22059.49 lakhs.

(ii) "Narcotics Control Bureau" - ₹2405.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1788.43 lakhs.

(b) "Education and Training - Rashtriya Raksha University" - ₹6200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6199.98 lakhs.

(c) "Research - Bureau of Police Research & Development" - ₹1333.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹883.28 lakhs.

(d) "Central Reserve Police - Establishment" - ₹101395.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹82270.44 lakhs.

(e) "Assam Rifles - Establishment" - ₹8374.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7053.90 lakhs.

(f) "Border Security Force" -

(i) "Directorate General of Border Security Force" - ₹94435.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹76641.86 lakhs.

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" - ₹16643.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11541.11 lakhs.

(g) "Industrial Security Force - Direction & Administration" - ₹37299.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹37014.85 lakhs.

(h) "Special Protection Group - Establishment"

लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2758.43 लाख था।

(झ) "दिल्ली पुलिस – निदेशन एवं प्रशासन" – ₹73409.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹67362.70 लाख था ।

(ञ) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹6668.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2040.96 लाख था।

(ट) "अन्य व्यय – क्रिप्टोग्राफ़िक दस्तावेज़ों का उत्पादन" – ₹1064.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1063.14 लाख था ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹46495.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹46129.00 लाख था।

(II) बचत मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन" – ₹846.20 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15955.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने और बिजली और टेलीफोन बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹4803.42 लाख का अधिक व्यय (₹1250.03 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹24888.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए पर ली गई इमारतों के किराए, पुरस्कारों, भत्तों, पेशेवरों की भर्ती और लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

- ₹3294.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2758.43 lakhs.

(i) "Delhi Police - Direction & Administration" - ₹73409.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹67362.70 lakhs.

(j) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - ₹6668.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2040.96 lakhs.

(k) "Other Expenditure - Production of Cryptographic Documents" - ₹1064.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1063.14 lakhs.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernization of Police Forces" - ₹46495.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹46129.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2055" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) Departmental Accounting Organization of Central Armed Police Forces" - excess of ₹846.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15955.00 lakhs including supplementary grant of ₹200.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards electricity and telephone bills.

(b) "National Investigation Agency" - excess of ₹4803.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24888.03 lakhs including supplementary grant of ₹1250.03 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of hired buildings, rewards, allowances, hiring of professionals and

clearance of pending bills.

(खा) "विशेष पुलिस – अनुसंधान" – ₹7500.00 लाख का अधिक व्यय (₹75000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गोपनीय अनुसंधान कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Special Police - Research" - excess of ₹7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Secret research work.

(गा) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण – केंद्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" – ₹26583.44 लाख का अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹90900.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुष्मान योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लंबित चिकित्सा बिलों/दावों के निपटान के कारण हुआ।

(C) "Welfare of Police Personnel - Welfare Grant to Central Police Organizations" - excess of ₹26583.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹90900.00 lakhs including supplementary grant of ₹7500.00 lakhs) was due to settlement of pending medical bills/claims of Central armed police forces under Ayushman Scheme.

(घा) "वायरलेस और कंप्यूटर – अंतर–राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना" – ₹803.47 लाख का अधिक व्यय (₹266.03 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7731.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टेशनरी, डाक, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, जल शुल्क संबंधी दावों के निपटान और प्राधिकरण की शेष राशि जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(D) "Wireless and Computers - Inter-State Police Wireless Scheme" - excess of ₹803.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7731.03 lakhs including supplementary grant of ₹266.03 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of Stationery, Postage, Telephone, Internet, Electricity, Water Charges claims and release of balance amount of Authorization.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹107.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹107.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1283105.00			
पू.	S.	2.00	1183391.00	1157713.24	25677.76
पु.	R.	-99716.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	51284.00	..	..	..
पु.	R.	-51284.00			

(I) ₹51286.01 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹51284.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹51286.01 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹51284.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" under the following heads: -

(का) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – असम राइफल्स" –

(A) "Capital Outlay on Police - Assam Rifles" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹6884.00 लाख;

(a) "Residential Building" - ₹6884.00 lakhs;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹7000.00 लाख;

(b) "Office Building" - ₹7000.00 lakhs;

(खा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा सुरक्षा बल" –

(B) "Capital Outlay on Police - Border Security Force" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹5000.00 लाख;

(a) "Residential Building" - ₹5000.00 lakhs;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹6000.00 लाख;

(b) "Office Building" - ₹6000.00 lakhs;

(गा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सशस्त्र सीमा बल" –

(C) "Capital Outlay on Police - Sashastra Seema Bal" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹7000.00 लाख;

(a) "Residential Building" - ₹7000.00 lakhs;

(ख) "सशस्त्र सीमा बल" – ₹10000.00 लाख;

(b) "Sashastra Seema Bal" - ₹10000.00 lakhs;

(घा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल" –

(D) "Capital Outlay on Police - Central Reserve Police Force" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹3000.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹3000.00 लाख;

(ङ) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – भारत तिब्बत सीमा पुलिस" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1400.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹2000.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹8800.23 लाख की बचत (₹29501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा न होने और प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹14570.84 लाख की बचत (₹17013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकास कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹9125.40 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹63550.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹2234.56 लाख की बचत (₹5054.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) "Residential Building" - ₹3000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹3000.00 lakhs;

(E) "Capital Outlay on Police - Indo Tibetan Border Police" -

(a) "Residential Building" - ₹1400.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹2000.00 lakhs;

Provision under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Building" - saving of ₹8800.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29501.00 lakhs) was due to non-completion of work and non-materialization of proposals.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹14570.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17013.00 lakhs) was due to non-completion of development work.

(c) "General" - saving of ₹9125.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹63550.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalization of procurement proposals and non-completion of works.

(d) "Modernization" - saving of ₹2234.56 lakhs (against the sanctioned provision of

विभिन्न तकनीकी उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

₹5054.00 lakhs) was due to non-procurement of various technical equipments.

(खा) "असम राइफल्स – आधुनिकीकरण" – ₹529.04 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रबलित प्लास्टिक नाव की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Assam Rifles - Modernisation" - saving of ₹529.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to non-procurement of Reinforced Plastic Boat.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹12613.79 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹112124.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और हथियारों की कम खरीद के कारण हुई।

(ख) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹12660.33 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹71309.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(C) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹12613.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹112124.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in December, 2024) was due to non finalisation of proposals, slow progress of construction work and less procurement of weapons.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹12660.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹71309.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2024) was due to non-materialization of proposals and non-completion of installation of solar power plant.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹6340.64 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "सामान्य" – ₹4314.05 लाख की बचत (₹7102.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "आधुनिकीकरण" – ₹843.66 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(D) "National Security Guard" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹6340.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(b) "General" - saving of ₹4314.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7102.00 lakhs) was due to non-procurement of equipments.

(c) "Modernisation" - saving of ₹843.66 lakhs (against the sanctioned provision of

लोड बियरिंग फ्रेम वाहनों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "आवासीय भवन" – ₹1888.47 लाख की बचत (₹3301.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए स्वीकृत कार्यों की निविदा और अन्य औपचारिकताओं में देरी के कारण हुई।

(ड.) "औद्योगिक सुरक्षा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹4996.82 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹2000.00 लाख की बचत हुई (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सामान्य" – ₹6054.11 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11457.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) "विशेष पुलिस" –

(क) "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" – ₹5428.44 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5655.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्यक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(ख) "निर्भया निधि से वितपोषित स्कीमें" – ₹970.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को बंद करने के कारण हुई।

₹1300.00 lakhs) was due to non-procurement of Load Bearing Frame vehicles.

(d) "Residential Buildings" - saving of ₹1888.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3301.00 lakhs) was due to delay in tendering and other formalities of new works approved.

(E) "Industrial Security Force" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹4996.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to non-finalisation of construction.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(c) "General" - saving of ₹6054.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11457.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024); and

(F) "Special Police" -

(a) "Indian Cyber Crime Coordination Center" - saving of ₹5428.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5655.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2024).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals.

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹970.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to closure of the scheme.

(ग) "राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन" – ₹4286.52 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(छा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹2520.69 लाख की बचत (₹4911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा न होने तथा खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹932.27 लाख की बचत (₹1852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वाहनों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" – ₹515.65 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹654.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "पूवोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹1219.34 लाख की बचत (₹2040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(ङ.) "केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹1334.91 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1772.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा न होने तथा वाहनों और तकनीकी उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(c) "Upgradation of Central Forensic Science Laboratories, including Setting Up of National Forensic Data Centre" - saving of ₹4286.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to less procurement of technical equipments.

(G) "Research, Education and Training" -

(a) "National Police Academy" - saving of ₹2520.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4911.00 lakhs) was due to non-completion of work and non-finalisation of procurement proposals.

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹932.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1852.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and non-procurement of vehicles.

(c) "Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹515.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹654.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalization of proposals.

(d) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹1219.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2040.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals.

(e) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹1334.91 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1772.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2024) was due to non-completion of work and non-procurement of vehicles and technical equipments.

(च) "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान" – ₹17356.28 लाख की बचत (₹52000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार मशीनरी उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(जा) "दिल्ली पुलिस" –

(क) "दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम" – ₹8197.97 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹24742.16 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹87820.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों और उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "क्षमता निर्माण" – ₹650.02 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन न किए जाने के कारण हुई।

(झा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹2632.89 लाख की बचत (₹10996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹2383.47 लाख की बचत (₹11533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई योजना/परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(f) "Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - saving of ₹17356.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52000.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery equipment as per Tripartite Agreement.

(H) "Delhi Police" -

(a) "Delhi Police Building Programme" - saving of ₹8197.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(b) "Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹24742.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹87820.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalisation of procurement of vehicles and equipment.

(c) "Capacity Building" - saving of ₹650.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to non-upgradation of training infrastructure.

(I) "Sashastra Seema Bal" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹2632.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10996.00 lakhs) was due to slow progress of work and non-finalisation of proposals.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹2383.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11533.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for new scheme/projects.

(ग) "सीमा चौकियां" – ₹1685.91 लाख की बचत (₹11600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Border Out Posts" - saving of ₹1685.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11600.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ञ) "अन्य पुलिस संगठन" –

(J) "Other Police Organizations" -

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)" – ₹992.19 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2121.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीटी उपकरणों के खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और ई–स्पैरो के कार्यान्वयन और लैन के पुनरुद्धार के कारण हुई।

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹992.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2121.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalisation of procurement proposals for ICT equipment and implementation of e-sparrow and revamping of LAN.

(ख) "आंसू गैस सामग्री की खरीद, निर्माण और वितरण" – ₹1314.84 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1674.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और मशीनों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1314.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1674.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalisation of projects and non-procurement of machines.

(ग) "केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹942.39 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2812.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(c) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹942.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2812.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to slow progress of work.

(घ) "राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो" – ₹672.73 लाख की बचत (₹2566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आटोमेटिड फिंगरप्रिंट पहचान परियोजनाओं के माइलस्टोन भुगतान के पूरा न होने के कारण हुई।

(d) "National Crime Records Bureau" - saving of ₹672.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2566.00 lakhs) was due to non-completion of milestone payment of National Automated Fingerprint Identification System projects.

(ङ) "आसूचना ब्यूरो" – ₹9833.90 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक

(e) "Intelligence Bureau" - saving of ₹9833.90 lakhs (against the total sanctioned provision

पूरक अनुदान सहित ₹72101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों/गैजेट्स की खरीद न किए जाने और कार्यालय स्थल पर आंतरिक कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(च) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹9684.77 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.70 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13553.70 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(छ) "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (एनएफआईईएस)" – ₹10197.00 लाख की बचत (₹11897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(ट) "जम्मू और कश्मीर पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹32748.44 लाख की बचत (₹45271.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "सामान्य" – ₹17672.96 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹29054.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹635.41 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 81 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचत (₹2200.00 लाख) प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "4055" – "सशस्त्र सीमा बल –

of ₹72101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) was due to non-procurement of equipments/gadgets and non-completion of interior work at office space.

(f) "National Investigation Agency" - saving of ₹9684.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13553.70 lakhs including token supplementary grant of ₹0.70 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalisation procurement proposals.

(g) "National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme (NFIES)" - saving of ₹10197.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11897.00 lakhs) was due to less procurement of technical equipments.

(K) "Jammu & Kashmir Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹32748.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45271.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(b) "General" - saving of ₹17672.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹29054.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2024) was due to non-materialization of proposals.

(III) Under two heads saving of ₹635.41 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 26 percent and 81 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (₹2200.00 lakhs) utilized for augmenting the provision as already reported to the Parliament while obtaining

सामान्य" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2200.26 लाख था।

token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "4055" - "Sashastra Seema Bal - General". Actual excess, however, was ₹2200.26 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads:-

(का) "असम राइफल्स" –

(A) "Assam Rifles" -

(क) "कार्यालय भवन" – ₹8216.00 लाख का अधिक व्यय (₹2801.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Office Buildings" - excess of ₹8216.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2801.00 lakhs); and

(ख) "आवासीय भवन" – ₹8047.17 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Residential Buildings" - excess of ₹8047.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards construction work of office building and re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ग) "सामान्य" – ₹8997.65 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹32825.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली के विस्तार के लिए भूमि, विभिन्न मशीनरी और उपकरणों, मोटर वाहनों की खरीद और लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(c) "General" - excess of ₹8997.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹32825.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of additional funds towards land for expansion of liaison office, New Delhi, procurement of various machinery and equipment, motor vehicles and settlement of pending claims.

(खा) "सीमा प्रबंधन – सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन कार्य" – ₹25784.90 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹305500.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) "Border Management - Border Infrastructure & Management Works" - excess of ₹25784.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹305500.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of

additional funds for various infrastructural developments.

(गा) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹4789.62 लाख का अधिक व्यय (₹16211.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआईसी के साफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क प्रस्ताव के वार्षिक भुगतान और परियोजनाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "अनुसंधान" – ₹62501.99 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹125000.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और उसके महत्वपूर्ण भुगतानों के कारण हुआ।

(ग) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹963.41 लाख का अधिक व्यय (₹5022.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्थानों पर भूमि की खरीद और कुछ मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) "Other Police Organisations" -

(a) "National Intelligence Grid" - excess of ₹4789.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16211.00 lakhs) was due requirement of additional funds towards annual payment for Software Defined Wide Area Network proposal of NIC and procurement for the projects.

(b) "Research" - excess of ₹62501.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹125000.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2024) was due to finalisation of new contracts and its milestone payments.

(c) "Narcotics Control Bureau" - excess of ₹963.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5022.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of land at various places and procurement of some machinery & equipments.